न्यायालय तहसीलदार राजगढ जिला अलवर (राजस्थान)

प्रकरण सं– 14 प्रवेश दिनांक 25.05.2021 निर्णय दिनांक 05.08.2021

GCMS No 2021/20

उनवान

1.राजस्थान सरकार जरिये पटवारी हल्का ढिगावडा तहसील राजगढ जिला अलवर

बनाम

1.दीनदयाल गुप्ता पुत्र रामकुवार जाति महाजन सा0 प्लाटन 215 स्कीम न0 2 लाजपातनगर जुबलीबास अलवर

2.बनवारी लाल शर्मा पुत्र दौलतराम शर्मा जाति ब्राहमण सा0 कालीपहाडी तहसील राजगढ जिला अलवर

3.सुनील कुमार गुप्ता पुत्र रामकिशोर गुप्ता सा0 थानाराजाजी तहसील राजगढ जिला अलवर

आज पत्रावली पेश हुई। प्रकरण का संक्षेप में वृतान्त निम्न प्रकार से है कि पटवारी हल्का ढिगावडा द्वारा ग्राम बाढ ढिगावडा के आराजी ख0 नं0 36/0.4350 हैक्टेयर किस्म बारानी उत्तम रकबा 0.4350 हैक्ट0 खातेदारी कृषि भूमि में गैरसायलान दीनदयाल गुप्ता पुत्र रामकुवार जाति महाजन सा0 प्लाटन 215 स्कीम न0 2 लाजपातनगर जुबलीबास अलवर बनवारी लाल शर्मा पुत्र दौलतराम शर्मा जाति ब्राहमण सा0 कालीपहाडी तहसील राजगढ जिला अलवर सुनील कुमार गुप्ता पुत्र रामकिशोर गुप्ता सा0 थानाराजाजी तहसील राजगढ जिला अलवर द्वारा 0.0.4350 हैक्टे0 भूमि में दुकान निर्माण व प्लोटिंग कर व्यावसायिक प्रयोजनार्थ बिना रूपान्तरण करवाये उपयोग किये जाने पर पटवारी हल्का द्वारा एल.आर.एक्ट 1956 की धारा 90 ए के तहत रिपोर्ट पेश करने पर रिपोर्ट दर्ज रजिस्टर कर गैरसायलान को नोटिस जारी किया गया । गैरसायलान सूचना के बावजूद अनुपस्थित रहे। गैरसायलान की अनुपस्थिति पर एकतरफा कार्यवाही अमल लाई जाती है। पटवारी हल्का रिपोर्ट का अवलोकन एवं मनन किया गया। गैरसायलान के द्वारा बिना सक्षम स्वीकृति के कृषि भूमि को अकृषि भूमि में परिवर्तन कर राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 90 ए का उल्लंघन किया है। गैर सायलान द्वारा अपने बचाव मे सुनवाई तिथि को न्यायालय में उपस्थित नही होने व कोई साक्ष्य सबूत पेश नही करने से प्रकरण नियमन योग्य नहीं पाया गया।

अतः दीनदयाल गुप्ता पुत्र रामकुवार जाति महाजन सा0 प्लाटन 215 स्कीम न0 2 लाजपातनगर जुबलीबास अलवर बनवारी लाल शर्मा पुत्र दौलतराम शर्मा जाति ब्राहमण सा0 कालीपहाडी तहसील राजगढ जिला अलवर सुनील कुमार गुप्ता पुत्र रामकिशोर गुप्ता सा0 थानाराजाजी तहसील राजगढ जिला अलवर के विरूद्व बिना स्वीकृति के ग्राम बाढ ढिगावडा के आराजी ख0 नं0 36/256 हैक्टेयर भूमि में से 0.4350

तहसीलदार
राजगढ (अलवर)

हैक्ट0 पर व्यावसायिक प्रयोजनार्थ दुकान निर्माण व प्लोटिंग कर उपयोग करने पर राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 90 ए सपठित धारा 91 के अन्तर्गत बेदखल कर लगान 15.225 रूपये का पचास गुणा राशि 762.00/- रूपया शास्ति आरोपित की जाती है। वसूली एवं कायमी हेतु पटवारी हल्का व तहसील राजस्व लेखाकार को लिखा जावें। चूंकि गैरसायलान का ये कृत्य कृषि भूमि को अकृषि भूमि में बिना सक्षम स्वीकृती उपयोग कर लेने पर खातेदारी भूमि की शर्तो के उल्लंघन की श्रेणी में आता है। कृषि भूमि शर्तो का उल्लंघन किये जाने के कारण राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 177 के अन्तर्गत सक्षम न्यायालय उपखण्ड अधिकारी राजगढ में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। बाद पूर्ति लेख भण्डार हो।

आज दिनांक 05.08.2021 को लिखवाया जाकर मेरे द्वारा हस्ताक्षर किये गए। निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(बाबूलाल मीना)
तहसीलदार राजगढ
तहसीलदार
राजगढ़ (अलवर)

रा. ले. स. 4 वर्ष 2021-22
के पृष्ठ संख्या 20 पत्र 90A विविध 762/-
राशि कायम किये गये।
त. रा. लेखाकार